

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt.ofHaryana

No. 192–2018/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2018 (KARTIKA 23, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 नवम्बर, 2018

संख्या 2/10/2018—आर— II.— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 32 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. ये नियम हरियाणा नगर निगम निर्वाचन (संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, प्रस्तावना में, ''सदस्यों'' शब्द के स्थान पर, ''महापौर तथा सदस्यों'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
- 3. उक्त नियमों में, नियम 2 में, खण्ड (ज) में ''जिसके सदस्य'' शब्द के स्थान पर ''जिसका महापौर और सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
- 4. उक्त नियमों में, नियम 23 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :
 - "23. मेयर और सदस्यों की अयोग्यताएं .— (1) कोई व्यक्ति निगम का महापौर और सदस्य इस प्रकार चुने जाने के लिए अयोग्य होगा, यदि उसमें धारा 8 में यथा वर्णित अयोग्यताओं में से कोई पाई जाती है।
 - (2) कोई भी व्यक्ति निगम के महापौर और सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जो अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों अथवा महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, इनमे से किन्ही भी प्रवर्गों का सदस्य नहीं है।"

- 5. उक्त नियमों में, नियम 24 में.-
 - (i) उप—नियम (1) में, ''सदस्यता के लिये अपात्र'' शब्दों के स्थान पर ''महापौर या सदस्यता के लिये अपात्र'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
 - (ii) उप—नियम (4) में, ''उसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए'' शब्दों के स्थान पर, ''उसी वार्ड में महापौर और सदस्य के निर्वाचन के लिए चुनाव'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे; तथा
 - (iii) उप–नियम (4) में, परन्तुक में ''उसी वार्ड के चुनाव के लिए'' शब्दों के स्थान पर ''उसी वार्ड में महापौर या सदस्य के चुनाव के लिए'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
- 6. उक्त नियमों में, नियम 25 में,-
 - (i) उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--
 - "(1) किसी उम्मीदवार के नामांकन पत्र को तब तक विधिवत् दिया गया नहीं समझा जायेगा, जब तक कि नियम 24 के अधीन उसे देते समय उम्मीदवार द्वारा नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई राशि उपायुक्त के पास नकद जमा नहीं करवा दी जाती अथवा जमा नहीं करवाता, अथवा नामांकन पत्र के साथ यह दर्शाते हुये रसीद संलग्न नहीं करता है कि उक्त राशि खजाने में जमा करवा दी है या उस दिन के बाजार मूल्य के बराबर सरकारी प्रनोट संलग्न नहीं करता :—

सारणी

जमा की जाने वाली राशि						
यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग का सदस्य अथवा महिला नहीं है		यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग का सदस्य अथवा महिला है				
मेयर	सदस्य	मेयर	सदस्य			
₹ 10,000.00	₹ 3,000.00	₹ 5,000.00	₹ 1,500.00			

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार द्वारा उसी वार्ड में महापौर और सदस्य के लिये निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामांकन पत्र भरे गये हैं, तो इस उपनियम के अधीन उससे एक से अधिक बार राशि जमा करवाने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।"

- (ii) ''उप—नियम (4) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--
 - "परन्तु यदि किसी उम्मीद्वार द्वारा एक से अधिक वार्डों में महापौर अथवा सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे गये हैं, तो उसकी ओर से या उसके निमित्त जमा करवाई गई राशियों में से एक से अधिक नहीं लौटाई जाएगी तथा शेष राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी।"
- 7. उक्त नियमों में, नियम 32 में, उप—नियम (1) में ''यदि किसी वार्ड में केवल एक उम्मीदवार है'' शब्दों के स्थान पर ''यदि वार्ड में महापौर अथवा सदस्य के लिए केवल एक उम्मीदवार है'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
- 8. उक्त नियमों में, नियम 33 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :--
 - "33. मतदान करवाया जाना, यदि उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक है .— यदि किसी वार्ड में महापौर अथवा सदस्य के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है, तो मतदान करवाया जायेगा।"
- 9. उक्त नियमों में, नियम 34 में ''वार्ड या वार्डों की जिनमें वह उम्मीदवार था, उसमें चुनाव के निर्देश में सभी कार्यवाहियां '' शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''वार्ड या वार्डों में महापौर; या सदस्य के चुनाव के सन्दर्भ में सभी कार्यवाहियां, जिनमें वह उम्मीदवार था'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
- 10. उक्त नियमों में, नियम 63 में, ''यदि उस वार्ड में कोई भी मतदान करवाना आवश्यक न हो'' शब्दों के स्थान पर, ''यदि महापौर; या सदस्य के लिए उस वार्ड में कोई भी मतदान करवाना आवश्यक न हो'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
- 11. उक्त नियमों में, नियम 71 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :--
 - "71. महापौर तथा सदस्यों के पद के लिए राज्यनिष्ठा की शपथ और महापौर, विरष्ठ उप महापौर और उप महापौर इत्यादि की पदावधि (1) मण्डलीय आयुक्त द्वारा निगम के निर्वाचित महापौर और सदस्यों के नामों की अधिसूचना के तीस दिन की अवधि के भीतर, निर्वाचित महापौर और सदस्यों के सामान्य निवास स्थान पर अड़तालीस घण्टे का नोटिस देते हुए नवगठित निगम की प्रथम बैठक बुलायेगा और अध्यक्षता करेगा । नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि उपस्थित महापौर और सदस्यों को राज्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जायेगी।

- (2) आयुक्त, निगम के लिए निर्वाचित महापौर तथा सदस्यों के नामों की अधिसूचना के साठ दिन की अविध के भीतर, महापौर और सदस्यों के सामान्य निवास स्थान पर अड़तालीस घण्टे का नोटिस भेजकर बैठक बुलायेगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा कि विरष्ठ उप महापौर और उप महापौर के चुनाव, आयुक्त की उपस्थिति में महापौर द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली इस बैठक में आयोजित किए जाएं।
- (3) मण्डलीय आयुक्त धारा 33 में यथा विहित उपस्थित महापौर और सदस्यों को राजनिष्ठा की शपथ दिलाएगा।
- (4) उप–नियम (3) के अधीन बुलाई गई बैठक में महापौर या सदस्य, जो उपस्थित नहीं होता है अथवा आकिस्मक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अथवा नामांकित हुये सदस्य को तत्पश्चात् सत्यनिष्ठा की शपथ महापौर द्वारा दिलवाई जायेगी और महापौर के मामले में शपथ सम्बद्ध मण्डलीय आयुक्त द्वारा दिलवाई जायेगी।
 - (5) महापौर के पद की अवधि पांच वर्ष या उसकी शेष पदावधि तक के लिये होगी।
- (6) वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर की पदावधि, पांच वर्ष के लिये या सदस्य के रूप में उसकी शेष पदावधि, जो भी कम हो, तक होगी। वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर निगम के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाएंगे।
- (7) निगम में महापौर का पद सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा मिहलाओं में से निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चक्रानुक्रम द्वारा भरे जाऐंगे जो इस रीति में अवधारित की जाएगी कि राज्य में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित महापौर के पदों की संख्या, निगम के ऐसे पदों की कुल संख्या ऐसे समरूप अनुपात में होगी जो राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात है:

परन्तु निगमों में महापौर के पदों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों सिहत महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण अलग—अलग निगमों में बारी—बारी से होगा, जो निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, मण्डलीय आयुक्त तथा सम्बद्ध निगमों के आयुक्त से मिलकर बनने वाली सिमित द्वारा ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा अवधारित किया जायेगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये महापौर के पदों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर अवधारित की जायेगी और प्रथमतः अनुसूचित जातियों की अधिकतम जनसंख्या वाले विभिन्न शेष निगमों में बारी—बारी से होगी, द्वितीयतः पिछड़े वर्गों की अधिकतम जनसंख्या वाले शेष निगमों से होगी तथा इस तरह उनकी अगली अधिकतम आबादी वाले निगम के पदों की पश्चात्वर्ती अवधि में बारी—बारी से होगी। यदि दो निगमों में जनसंख्या की प्रतिशतता पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में एक समान है, तो आरक्षण उपरोक्त परन्तुक में निर्दिष्ट समिति द्वारा ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा अवधारित किया जाएगा।

- 12. उक्त नियमों में, नियम 72 में .-
 - (i) विद्यमान उपान्तिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपान्तिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : "वरिष्ठ उप महापौर तथा उप महापौर के चुनाव।"; तथा
 - (ii) उप-नियम (1) में, "महापौर," शब्द तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा।
- 13. उक्त नियमों में, नियम 73 में "महापौर," शब्द तथा चिह्न, जहां कहीं भी आएँ, का लोप कर दिया जाएगा।
- 14. उक्त नियमों में, नियम 75 में .-
 - (i) उपान्तिक शीर्ष में "महापौर," शब्द तथा चिन्ह का लोप कर दिया जाएगा;
 - (ii) उप-नियम (2) में "महापौर," शब्द तथा चिहन का लोप कर दिया जाएगा; तथा
 - (iii) उप नियम (4) में, परन्तुक में, ''महापौर या'' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।
- 15. उक्त नियमों में, नियम 78 में .-
 - (i) उप-नियम (1) में, ''सदस्य'' शब्द के स्थान पर ''महापौर या सदस्य'' शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे; तथा
 - (ii) उप-नियम (2) में, ''महापौर, या'' शब्दों तथा चिहन का लोप कर दिया जाएगा।
- **16.** उक्त नियमों में, विद्यमान प्ररूप 1, 1ग, 1घ, 2, 2क, 2ख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 तथा 17 के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

[देखिए नियम 24(2)]

नामांकन पत्र

निगम के लिए निर्वाचन

	मैं, उम	मीदवार को नगर निग	Ч	के महापौर	र के चुनाव अथवा नगर निगम
					से सदस्य के चुनाव के रूप मे
नामजद					
उम्मीदव	ार का न	ाम			
उसका र	डाक पत	「			
					ख्याकी
मतदाता			फ्		
0	मेरा न	<u> </u>	नगर निग	म 	की वार्ड संख्या
की मतद	राता सूचे	Ť	में क्रम संख्य	T	पर दर्ज है।
निणि :					(प्रस्तावक के हस्ताक्षर)
I(II4) · -					(प्रस्तापक क हस्तादार)
		भें सार वर्णित स	फीटवार रस नामांकन से	यस्यत हं तथा ॥त	ाद् द्वारा घोषणा करता/करती
हं		न, उपर पागरा उ		सहनत हू तथा दत	प् क्षारा यावणा परसा/ परसा
c					
	(ক)	कि मैंने	वर्ष की उ	आयु पूरी कर ली है,	
	(ख)				के लिए खड़ा किया गया है।
	(ग)	_	ने हैं अधिमान्यता के क्रम से	_	
		(i)			
				_	
	**में 3	आगे यह घोषणा करता	हूं कि मैं		जाति / वर्ग का सदस्य हूं
जो			राज्य के		 (क्षेत्र) से अनुसूचित
जाति / वि			जिसके लिए स्थान इस प्रका		
	**मैं य	ह और घोषणा करती हूं	्कि मैं एक महिला उम्मीदवा	र हूं जिसके लिए यह र	तीट ऐस रूप में आरक्षित की गई
है ।					
				(=	उम्मीदवार के हस्ताक्षर)
			_		
(** जो	यदि ला	गू ना हो उसे काट दें)			

रिटरनिंग अधिकारी

HARYANA G	OVT. GAZ. (EXTRA.),	NOV. 14, 2018 (KRT	K. 23, 1940 SAKA)	3587
	मजिस्ट्रेट	द्वारा सत्यापन		
उपर्युक्त घोषणा		द्वारा सत्यनिष	डा से मेरे सामने की गई	है, उसे मैं
व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ अथव	ा उसकी पहचान मेरी संतुरि	टे के अनुसार की गई है	I	
स्थान			सत्यापन प्राधिकारी	के पूरे
तिथि			पदनाम सहित हस्त	.गक्षर
	(रिटरर्निंग अधिक	गरी द्वारा भरा जाएगा)		
नामांकन पत्र की क्रम संख्या				
यह नामांकन मुझे मेरे	कार्यालय में		(तिथि) को समय	
(
			रिटर्निंग अधिकार	ते
मैने हरियाणा नगर निग् निम्नानुसार विनिश्चय किया गया	-	नियम 27 के अनुसार	इस नामांकन पत्र की जांच	की है तथा
तिथि :			रिटर्निंग अधिकार	ते
उम्मीदवार को	दिया गया निशान		है।	
तिथि :			रिटर्निंग अधिकार	शे
	नामांकन पत्र की रसीद	तथा संवीक्षा के लिए नो	टिस	
	(नामांकन पत्र देने	वाले व्यक्ति को दी जाए)		
नामांकन पत्र की क्रम संख्या				
नगर निगम	से [:]	महापौर के चुनाव अथवा	नगर निगम	
की वार्ड संख्या				
में	(बजे)	(दिनांक	b) को उम्मीदवार/प्रस्तावक	द्वारा दिया
गया। सभी नामांकन पत्रों की सं				
पर की जायेगी।				

प्ररूप – 1ग

[देखिए नियम 24क]

		^				·
निगम .		की व	रे ग़र्ड संख्या से अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया ज	सदस्य के चुनाव के	_	कृपया अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकाएं
			1	भाग – क		
	में	y **	<u> </u>	वर्ष	जो(परा डाक	पता दर्शायें) का / की
निवासी करता /	हूं उप	परोक्त निर्वाचन	से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा र	•		
	(1)	में	;	(**राजनैतिक दत	न का नाम) द्वारा खड़ा	किया गया अभ्यर्थी /
	. ,		अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा ह	•	,	
		(**जो लागू न	हो उसे काट दें)			
	(2)		(नगर निगम का नाम	न) में भाग संख्या	के क्रम संख्या	पर प्रविष्ट है।
	(3)		······ नीफोन संख्या / संख्याएं			
	(3)	3			रा इ गरा जाइडा (पाय	٩/١١٥ ١/
	(4)		्ष्या (पैन) के ब्योरे और आयव	कर विवरणी दायर कर	ने की स्थिति :-	
		क्रम संख्या	नाम	पैन -	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी दायर की गई है।	आयकर विवरणी में दर्शाई गई कुल आय (रुपए में)
		1	स्वयं			
		2	पति या पत्नी			
		3	आश्रित—1			
		4	आश्रित—2			
		5	आश्रित—3			
	(5) मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास में दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का / क अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा आरोप विरचित किया गय है / किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी:— (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनी किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं :— (क) सम्बद्ध पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे संख्या / संख्याएं					

(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनकें) लिए आरोपित किया गया है।	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तिथि।	
(ঘ)	न्यायालय(न्यायालयों) जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई।	
(ভ.)	तिथि (तिथियां) जिसके आरोप विरचित किए गए थे।	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही (कार्यवाहियों) किसी सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं।	

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है / हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [उपरोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:—

(ক)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तिथि	
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	
(ग)	उपरोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण (यदि कोई हों) के लिए दायर की गई अपील (अपीलों) /आवेदन (आवेदनों) के ब्यौरे	

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) में आने वाले किसी अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है / नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगाः निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(ক)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तिथि (तिथियां)	
(ख)	अधिरोपित दंड	
(ঘ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील दायर की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान स्थिति।	

(7) मैं मेरे, मेरे पित या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (चल तथा अचल) आदि के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. चल आस्तियों के ब्यौरे :

- टिप्पणः 1.— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।
- टिप्पण: 2.— जमा / निवेश की दशा में, कम संख्या रकम, जमा की तिथि, स्कीम, बैंक / संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।
- टिप्पण: 3.— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों / शेयर डिबेचरों का मूल्य स्टाक एक्सचेजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
- टिप्पणः 4.— यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (v) में है।

टिप्पणः 5.— रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक निवेश के संबंध में प्रथकतया दिए जाने हैं।

			_		_	
क्रम	विवरण	स्वयं	पति	आश्रित—1	आश्रित—2	आश्रित—3
संख्या			या			
			पत्नी			
(i)	हाथ नकदी					
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय					
	कंपनियों और सहकारी सोसाईटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में राशि					
(iii)	कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों / शेयरों तथा यूनिटों में निवेश के ब्यौरे और राशि					
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत बीमा पालिसियों में निवेश के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में निवेश और राशि					
(v)	किसी व्यक्ति या हस्ती जिसमें फर्म, कम्पनी, न्यास आदि सम्मिलित हैं, को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा राशि					
(vi)	मोटरयान / वायुयान / याट / पोत (मेक रजिस्द्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और राशि)					

(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)			
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे दावों / हित का मूल्य			
(ix)	समग्र कुल मूल्य			

आ. अचल आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणः 1.— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणः 2.— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमैंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

	वाहिद्र ।					
क्रम	विवरण	स्वयं	पति या	आश्रित—1	आश्रित—2	आश्रित—3
संख्या			पत्नी			
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति					
	(अवस्थितियां)					
	सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई सम्पति					
	है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित सम्पति की दशा में					
	क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की					
	लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के					
	माध्यम से भूमि पर कोई					
	निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि अवस्थिति					
	(अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यां					
	(संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपति					
	है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपति की दशा में					
	क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत					
	(क्रय की दशा में)					
	विकास, सनिर्माण आदि के					
	माध्यम से भूमि पर कोई					
	निवेश					
	•			•	•	

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित—1	आश्रित—2	आश्रित—3
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) –अवस्थिति (अवस्थितियां) –सर्वेक्षण संख्या (संख्याए)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश,					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित):— अवस्थिति (अवस्थितियां)—सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं) क्षेत्र					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपति है (हां या नहीं)					
	स्वार्जित संपति की दशा में क्रय की तिथि					
	क्रय के समय सम्पत्ति की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई निवेश					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे संपति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य					

(8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों / देयों के ब्योरे नीचे देता हूँ :— (टिप्पणी: कृप्या बैंक, संस्था, निकाय, हस्ती या व्यष्टियों के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष राशि के ब्योरों का पृथक विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित—1	आश्रित—2	आश्रित–3
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या देय बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम,					
	ऋण की प्रकृति पूर्वोक्त वर्णित नाम (नामों) से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों / हस्ती को ऋण या देय					
	बकाया राशि, ऋण की प्रकृति कोई अन्य दायित्व दायित्वों का कुल योग					
(ii)	सरकारी देयः सरकारी आवास से सम्बन्धित विभागों को देय					
	जल आपूर्ति से सम्बन्धित विभागों को देय					
	विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित विभाग को देय					
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से सम्बन्धित विभाग को देय					
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हैलीकाप्टर सहित) से सम्बन्धित विभाग को देय					
	आय–कर देय					
	धनकर देय					
	सेवाकर देय					
	नगरपालिका / संपति कर देय					
	विक्रयकर देय					
	कोई अन्य देय					

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित—1	आश्रित—2	आश्रित—3
(iii)	सभी सरकारी देयों का कुल योग					
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां, तो अंतवर्लित राशि और					
	प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।					

(9)	वृति	या	उपजीविका	के	ब्यौरे:

- (क) स्वयं.....
- (ख) पति या पत्नी.....
- (10) मेरी शैक्षणिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

.....

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठयक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठयक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण :

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कु.
2.	डाक का पूरा पता	
3.	नगर निगम का नाम	
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपरोक्त मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), (2) या (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	

7.			की स्थायी लेखा संख्या		वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी दायर की गई है		कुल दर्शाई गई आय	
	(ক)	अभ्यर्थी						
	(ख)	पति या पत्नी						
	(ग)	आश्रित						
8.	आस्ति	नयों और दायित्वों के	हें ब्योरे (क्रप	ाए में)				
	विवर	ण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित—1	आश्रि	त—2	आश्रित–3
क.		सम्पतियां मूल्य)						
ख.		अचल सम्पति						
	(i)	स्वार्जित अचल संपति की क्रय कीमत						
	(ii)	क्रय के पश्चात अचल संपति की विकास / संर्निमाप लागत (यदि लागू हो)						
	(iii)	अनुमानित वर्तमान						
		बाजार मूल्य						
		(क) स्वार्जित सम्पति (कुल मूल्य) (ख) विरासती सम्पतियां (कुल मूल्य)						
9.		दायित्व						
	(i)	सरकारी देय (कुल)						
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)						
	ऐसे व	दायित्व जो विवादार्ध	नि है					
	(i)	सरकारी देय						
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और						

		अन्य से ऋण (कुल)							
11.	उच्चत	। - ाम शैक्षिक अर्हता—							
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठयकम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम								
	विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष								
	जिसग	में पाठयक्रम पूरा कि	या गया था,	का ब्यौरे	दें ।)				

सत्यापन

मैं, उपरोक्त नामित अभिसाक्षी, इसके द्वारा, सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय—वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह और भी घोषणा करता हूं कि:

- (क) मेरे विरूद्ध उपरोक्त भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लेखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला लंबित नहीं है:
- (ख) मेरे पित या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपरोक्त भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लेखित सम्पित या दायित्व से भिन्न कोई सम्पित नहीं है।

शास	00	->	\triangle	\rightarrow				
आज	20	Ф	1दन	পা	 44	सत्यापित	किया	ગયા!

अभिसाक्षी

टिप्पणः 1.— शपथपत्र नामांकन पत्रों की जांच की तिथि वाले दिन दस बजे से पहले तक दायर किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 2.— शपथपत्र पर किसी शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3.— सभी खानों को भरा जाना चाहिए और कोई खाना खाली न छोड़ें। यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है, तो या तो "शून्य" या "लागू नहीं होता", जैसी भी स्थिति हो, उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 4.- शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

प्ररूप — 1घ

[देखिए नियम 24क]

			[410]
संख्या			के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगमकी वार्ड सदस्य के चुनाव के लिये रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र तथा प्ररूप 1–ग सहित, अभ्यार्थी
			गला शपथ पत्र/घोषणा।
	में		**पुत्र / पुत्री / पत्नी आयुवर्षवर्ष
			(पूरा डाक पता वर्णित करें) का / की निवासी हूं, उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यार्थी हूं,
सत्यनिष्ट	ग से प्र		ता / करती हूं, और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता / करती हूं:-
	(1)		(**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यार्थी हूं/ **एक स्वतंत्र अभ्यार्थी प में लड़ रहा/रही हूं।
		(**जो	ा लागू न हो उसे काट दें)
	(2)		गमपर प्रविष्ट है।
	(3)		मेरे सम्पर्क टेलीफोन नम्बरहै / हैं और मेरा ई–मेल आई डी (यदि कोई हो)है ।
	(4)		रियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 8 के अधीन दी गई निम्न में से कोई अयोग्यता प्राप्त की है:—
		(i)	मैं किसी मामले में सिद्धदोष नहीं किया गया हूँ तथा किसी अपराधिक मामले, जिसमें दस वर्ष से कम का कारावास न हो, से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा मेरे विरूद्ध आरोप नहीं लगाये गये हैं।
		(ii)	मैं किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के मेरी ओर देय किसी प्रकार के ब़कायों का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूं। उक्त संस्था (संस्थाओं) से बेबाकी प्रमाण-पत्र (प्रमाण पत्रों) संलग्न है / हैं।
		(iii)	मैं बिजली बिलों के बकाया का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूं। सम्बन्धित विद्युत उपयोग से बेबाकी प्रमाण–पत्र संलग्न है।
		(iv)	मैने किसी मान्यताप्राप्त संस्था / बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास की है।
			या
			मैनें मिडल कक्षा पास की है (किसी महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उम्मीदवार की दशा में)
			या
			मैने पांचवी कक्षा पास की है (अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिला उम्मीदवार की दशा में, महापौर का छोड़कर)
			सम्बन्धित संस्था / बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की सही सत्यापित प्रति संलग्न है।
		(v)	मेरे निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय है।
			4

अभिसाक्षी

सत्यापन

में,	ऊपर नामित अभिसाक्षी, इसके द्वारा, सत्यापन और घोषणा करता हूं/करती हूं कि इस शपथ–पत्र की
विषय-वस्तु ग	मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और इसमें
से कोई ताति	वक तथ्य छिपाया नहीं गया है।
आज	दिन कोपर सत्यापित किया गया।
	अभिसाक्षी
टिप्पणः 1.—	शपथपत्र / घोषणा, नामांकन पत्रों की जांच की तिथि को 10:00 बजे तक दायर किया जाना चाहिए।
टिप्पणः २.–	शपथपत्र पर किसी शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
टिप्पणः ३.–	सभी खाने भरे जाने चाहिएं और कोई खाना खाली न छोड़ें। यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई
	जानकारी प्रस्तुत नहीं करनी है, तो या तो ''शून्य'' या ''लागू नहीं होता'', जैसी भी स्थिति हो, वर्णित किया जाना
	चाहिए।

टिप्पणः ४.- शपथपत्र / घोषणा या तो टंकित या सुपाठयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

[देखिए नियम 40(2)]

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

	नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम
संख्या	से सदस्य का चुनाव।
	मैं उपर्युक्त निर्वाचन का उम्मीदवार एतद् द्वारा
पुत्र/पुत	त्रीपर/मतदान के लिए निश्चित
स्थान	पर उपस्थित होने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं।
स्थान	
तिथि	
	मैं इस प्रकार मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं।
स्थान	
तिथि	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
	मतदान अभिकर्ता की घोषणा पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएंगे।
	मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि मै उपर्युक्त चुनाव में नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 द्वारा वर्जित कोई कार्य
नहीं कर	रूंगा।
तिथि	
	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
	मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए
तिथि	पीठासीन अधिकारी

प्ररूप — 2क

[देखिए नियम ४०क]

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

नगर र्	निगम के महापौर का चुनाव अथवा न	गर निगम की वार्ड संख्या
से स	ादस्य का चुनाव।	
सेवा में		
f	रिटर्निंग अधिकारी	
में		उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार, इसके द्वारा
श्री		(नाम तथा पता) को उपरोक्त
निर्वाचन में आज	न से अपने निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं।	
स्थान		
तिथि		उम्मीदवार के हस्ताक्षर
	में उपरोक्त नियुक्ति को स्वीकार करता हूं।	
स्थान		
दिनांक		निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

^{*} निर्वाचन के समुचित ब्योरे यहां निर्दिष्ट किए जाएं।

प्ररूप – 2ख

[देखिए नियम 40(ख)(2)]

गणना अभिकर्ता की नियुक्ति

	नगर निगम		महापौर	का	चुनाव	अथवा	नगर	निगम	की
	थ्या से सदस्य का चुन	ाव ।							
सेवा में									
	रिटर्निंग अधिकारी / पीठासीन	न अधिकारी,							
	 							ਚ	उम्मीदवार / ** निर्वाचन
	f								
	में मतगणना	पर हाजिर	रहने के ि	गए मुइ	में / उसव	_{हे} **ग्र	गना अधि	भेकर्ता के	ह रूप में नियुक्त करता
हूं।	गणना अभिकर्ता का नाम	4						गणना ३	अभिकर्ता का पता
	1	•							71 17311 471 1311
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	इत्यादि								
स्थान									
तिथि					उम	मीदवार /	′गणना	अभिकर्ता	के हस्ताक्षर**
	हम ऐसे गणन अभिकर्ताओं के रूप	व में कार्य क	रने के लि	ए सह	मत हैं।				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
इत्यादि									
स्थान									
तिथि						गण	ना अभि	कर्ता के	हस्ताक्षर

गणना अभिकर्ताओं की घोषणा

(रिटर्निंग अधिकारी / पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

हम, इसके द्वारा, घोषणा करते हैं कि उपरोक्त निर्वाचन में, हम हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1964 (1994 का 16) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन निषिद्ध कुछ भी नहीं करेंगे। जिसे हमने पढ़ लिया है / हमें पढ़ कर सुना दिया गया है।

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
इत्यादि		
स्थान		गणना अभिकर्ता के हस्ताक्षर
तिथि		
	मेरे सामने हस्ताक्षर किये गये	

रिटर्निंग अधिकारी / पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

- धारा 23.—(1) प्रत्येक अधिकारी अथवा लिपिक, अभिकर्ता अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो किसी चुनाव में मतो की रिकार्डिंग अथवा गणना करने के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और किसी व्यक्ति को ऐसी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए संगणित कोई सूचना (किसी विधि द्वारा अथवा के अधीन प्राधिकृत कुछ प्रयोजनों के सिवाय) नहीं भेजेगा।
 - कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबन्धों की उल्लंघन में जान बूझकर कार्य करता है, तो वह या तो तीन मास (2) से अनधिक की अवधि के लिए कारावास अथवा जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। **।

^{*}निर्वाचन के समुचित ब्योरे निर्दिष्ट किए जायें।

^{**}अनुपयुक्त विकल्प काट दें।

[देखिए नियम 47(2)ग]

आक्षेप किए गए नामों की सूची

				के महाप	गौर का चुनाव	अथवा नगर नि	गम	की
		से सदस्य का	-					
मत	ादान केन्द्र सं	 ख्या		3	हस्ताक्षर शीट सं	ख्या		
प्रविष्टि की क्रम संख्या	मतदाता का नाम	मतदाता के नाम की		किए गए	यदि कोई हो,	आपत्तिकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	जमा राशि वापिस प्राप्त करने पर आपित्तिकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

तेथि	:	पीठासीन	अधिकारी	के	हस्ताक्षर

[देखिए नियम 54(2)]

नेत्रहीन तथा अशक्त मतदाताओं की सूची

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर	के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम व						
संख्या से सदस्य का चुनाव।							
मतदान केन्द्र की संख्या / मतदान का स्थान							
सूची में मतदाता मतदाता का पूरा नाम साथी का पूरा नाम साथी क	ग पता	साथी के हस्ताक्षर					
1 2 3	4	5					
तिथिपी	ोठासीन अधिकारी	ो के टानाथा					

[देखिए नियम 56(2)]

निविदत मतों की सूची

नगर निगम वार्ड संख्या	से सदस्य का चुनाव।	के महापौर का चु	नाव अथवा नगर निगम	ग <u>क</u>
मतदान केन्द्र की	संख्या/मतदान का स्था	न		
सूची में मतदाता का क्रम संख्या तथा नाम	मतदाता का पता	निविदत मतपत्र की क्रम संख्या	उस व्यक्ति को जारी किए गए मतपर्ची की क्रम संख्या जिसने पहले मतदान कर रखा है	मत डालने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5

तिथि	<u> </u>	पीठासीन	अधिकारी	के	हस्ताक्षर

[देखिए नियम-58]

मतपत्र लेखा

		के महापौर का	चुनाव अथवा नगर निगम	की वार्ड
		/मतदान का स्थान		
			क्रम संख्या	कुल संख्या
(1)	प्राप्त	हुये मतपत्र		
(2)	अप्रयु	क्त मतपत्र		
	(ক)	पीठासीन अधिकारी, यदि कोई		
		हो, के हस्ताक्षर से, तथा		
	(ख)	पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर		
		के बिना।		
(3)	मतदा	ताओं को जारी किए गए मतपत्र		
(4)	रद्द	किए गए मतपत्र		
	(ক)	मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए		
	(ख)	किसी अन्य कारण से		
(5)	निविव	दत मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त मतपत्र		
(6)	मतपः	त्र जो मतपेटी में होने चाहिएं।		
तिथि			पीठासीन ३	अधिकारी के हस्ताक्षर

[देखिए नियम 61(2) तथा 62(4)(ख)]

(मतों की गणना करने के बाद भरा जाएगा)

मतपत्रों की गणना का प्ररूप

नगर निगम		गौर का चुनाव अथवा नगर निगम	की वार्ड संख्या				
से सदस्य का चु	नाव।						
केन्द्र संख्या							
नी तिथि							
ऱ्या	उम्मीदवार का नाम	डाले गये वैध मतों की संख्या					
	आदि						
रद्द किए गए मत	тчя						
कुल संख्या							
v) क्या ऊपर मद संख्या iii में दर्शाए गये मतपत्रों की संख्या प्ररूप 6 में मद संख्या 6 के सामने दर्शाई गई संख्या से मिलती है या इन दोनों आंकड़ों में कोई विसंगति ध्यान में आ गई है।							
		पीठासीन अधिकारी व	हे हस्ताक्षर				
	से सदस्य का चु केन्द्र संख्या ही तिथि इया व्या कुल संख्या क्या कुपर मद सं मिलती है या इन	से सदस्य का चुनाव। केन्द्र संख्या	केन्द्र संख्या				

[देखिए नियम 63, 70प (2) (ग), 70फ (1) तथा 70(ब)(2)]

गणना किए गए मतपत्रों के समेकन लेखा का प्ररूप

						क	मह	पिर	का	चुन	वि अथव	ा नगर नि	गम	के
वाडे संख्य	वार्ड संख्या से सदस्य का चुनाव।													
मतदान केन्द्र संख्या	मतपेटी (पेटियों) / इलैक्टॉनिक मतदान मशीन (मशीनों) में पाये गये कुल मत	निविदत मतों की संख्या	ਰਸ	उम्मीदवार के वैध मत						कुल वैध मत	अस्वीकृत मतों की संख्या	मतों के लिए "नोटा" विकल्प	वैध तथा अस्वीकृति कुल मत	
			क	ख	ग	घ	ड़	च	ಡ	ড				
1														
2														
3														
4														
5														
इत्यादि														
कुल														

स्थान	
तिथि	रिटर्निंग अधिकारी''

[देखिए नियम 51क (1)]

रिटर्निंग अधिकारी को सूचना पत्र

सेवा में		
	रिटर्निंग अधिकारी,	
	निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड संख्या	
	नगर निगम	
महोदय,		
ग्लाप्प,	में नगर निगम	के महापौर का चुनाव अथवा नगर
निगम	की वार्ड संख्या	से सदस्य के चुनाव के लिये अपना मतपत्र
डाक द्वारा देना	चाहता हूं।	
	मुझेनगर निगम में	
	मतदान केन्द्र (संख्या तथा नाम) पर	
मेरा नाम है।	नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड संख्या) के	लिए क्रम संख्या पर प्रविष्ट
	मुझे मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजा जाए :	
		भवदीय,
स्थान :		
तिथि :		()

प्ररूप — 10

[देखिए नियम 70 ढ़ (1)]

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

नगर निगम के मह से सदस्य का चुनाव।	हापौर का चुनाव अथवा नगर निगम की वार्ड संख्या
सेवा में	
रिटर्निंग अधिकारी,	
वार्ड संख्या	
श्रीमान जी,	
मैं उपरोक्त वार्ड के आगामी निर्वाचन में निर्ज निर्वाचक नामावली के भाग संख्या में	ो रूप में अपना मत डालना चाहता हूं। मेरा नाम उपरोक्त वार्ड की कम संख्यापर दर्ज है।
मैं वार्ड संख्याके मतदान व पर निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किया गया ह	केन्द्र संख्यामतदान केन्द्र का नाम रूं।
	तदान ड्यूटी प्रमाण पत्र मतदान केन्द्र, जहां पर मैं मतदान के दिन लिए जारी किया जाये। यह मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाये :—
	भवदीय,
নিখি :	(आवेदक का नाम)

[देखिए नियम ७०छ, ७०ज(७), ७०ड, ७०त(१)(च) तथा ७०भ(१)(ड़)]

मतदाताओं का रजिस्टर

नगर निगमसे सदस्य का चुनाव।	के महापौर	का चुनाव	अथवा नगर	: निगम .	 की वा	र्ड संख्या	
मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम							
मतदाता सूची की भाग संख्या							

क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान	टिप्पणी
1			
2			
3			
4			
5 इत्यादि			

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

[देखिए नियम ७०.ढ़(1)(क) तथा ७०त(1)(ड़)]

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती	पुत्र/पुत्री/ पत्नी
*वार्ड संख्या में नि	र्वाचक है, उसकी निर्वाचक नामावली
संख्या है, जोकि उसके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण व	
हकदार है, में मत देने में असमर्थ है और इसलिए इसके द्वारा उसे किसी मतदान के	न्द्र में, जहां वह मतदान की तिथि को
डयूटी पर हो, मत देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।	
स्थान f	रेटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
तिथि	
	मोहर
* समुचित ब्योरे दिये जायें।	

[देखिए नियम ७०ढ(४)(क) तथा (६) (ख) तथा (ग)]

डाक मतपत्र के प्रयोग के लिये निर्वाचक द्वारा घोषणा

(इस तरफ का प्रयोग केवल तब किया जाना	है जब निर्वाचक स्वयं घोषणा पर हस्ताक्षर करता है)
नगर निगम के महापौ	र का चुनाव अथवा नगर निगमकी वार्ड संख्या
से सदस्य का चुनाव।	
मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मै वह निर्वाच डाक मतपत्र उपरोक्त निर्वाचन में जारी किया गया है।	क हूं जिसे क्रम संख्या वाल
নিখি	निर्वाचक के हस्ताक्षर
	पता
हस्ताक्ष	र का सत्यापन
	र्वाचक) द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं जो मुझे (पहचानकर्ता) द्वारा मेरी सन्तुष्टि के लिए पहचाना है
पहचानकर्ता के हस्ताक्षर	तसदीक अधिकारी के हस्ताक्षर
यदि कोई हो	पदनाम
पता	पता
	तिथि
/ s	
	हे जब निर्वाचक स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता) क हूं जिसे क्रम संख्या वाल
दिनांक	निर्वाचक की ओर से तसदीक अधिकारी के हस्ताक्षर निर्वाचक का पता

प्रमाण पत्र

	मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि—				
1)	उपरोक्त नामित निर्वाचक व्यक्तिगत रूप से मुझे जानता है। जिसेके लिए पहचाना है जो व्यक्तिगत रूप में मुझे जानता है।	(पहचानकर्ता) द्वारा मेरी सन्तुष्टि			
2)	मुझे विश्वास है कि निर्वाचक निरक्षर है जो(अशक्तता) करने में या अपनी घोषणा हस्ताक्षर करने में असमर्थ है।	से पीड़ित है और अपना मत स्वयं अभिलिखित			
3)	उसने मुझ से उसकी ओर मतपत्र चिह्नित करने और उपर्युक्त घोषणा पर	हस्ताक्षर करने की प्रार्थना की थी।			
4)	मैंने उसकी उपस्थिति में और उसकी इच्छा के अनुसार उसकी ओर से मतमत्र चिहिनत और घोषणा हस्ताक्षरित की र्थ				
पहच	ानकर्ता के हस्ताक्षर	तसदीक अधिकारी के हस्ताक्षर			
यदि	कोई हो	पदनाम			
पता.		पता			
		तिथि			

[देखिए नियम ७०ढ(४) (ख) तथा (६) (क)]

लिफाफा "क"

गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है							
नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगमवां चुनाव अथवा नगर निगमवां चुनाव।	की						
डाक मतपत्र डाक मतपत्र की क्रम संख्या							

प्ररूप — 15

[देखिए नियम 70ढ 4(ग)]

बड़ा लिफाफा "ख"

नगर निगम की वार्ड संख	्या						
से सदस्य के चुनाव में प्रयोग किया जाये।							
लिफाफा ''ख'' सरकारी बिना टिकट							
प्रत्येक अधिकारी जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक मतपत्र भेजा जाता है वह अविलम्ब पते पर इसका वेतरण सुनिश्चित करेगा। {नियम 51क (4)}							
निर्वाचन—अविलम्ब							
ग्रक मतपत्र							
नगर निगमकी वार्ड संख्या से सदस्यकी चुनाव के लिये।							
(गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है)							
नेवा में							
रिटर्निंग अधिकारी							
**							
भेजने वाले के हस्ताक्षर							

^{*} रिटर्निंग अधिकारी यहां पर वार्ड के समुचित ब्योरे लिखें।

^{**} रिटर्निंग अधिकारी यहां पर पूरा पता वर्णित करें।

[देखिए नियम ७०ढ (४)(घ) तथा (६)(क) तथा (ग) तथा ७०ब(१)]

डाक मतपत्र का प्रयोग करने के लिए निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए हिदायतें

	नगर निगम		के	महापौर	का	चुनाव	अथवा	नगर	निगम	 की	वार्ड
संख्या	से	सदस्य का चुनाव।									

व्यक्ति जिन के नाम इसके साथ भेजे गये मतपत्र पर मुद्रित हैं वे उपरोक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हैं। यदि आप मत देना चाहते हो तो आप नीचे भाग—I में दिये गये निदेशों के अनुसार अपना मत अभिलिखित करेंगे तथा तब भाग— II में विस्तृत हिदायतों का अनुसरण करेंगे।

भाग— ।

निर्वाचकों के लिए हिदायतें

- 1. निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है।
- 2. आपका केवल एक मत है।
- 3. आपको एक से अधिक उम्मीदवार के लिए मत नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- उम्मीदवार जिसको आप अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने स्पष्ट रूप से चिह्न लगाते हुये मत अभिलिखित करें।
- 5. चिह्न इस प्रकार लगाया जाएगा जो उम्मीदवार जिसको आप अपना मत दे रहे हैं को स्पष्ट रूप से सूचित करें तथा सन्देह के परे हो। यदि चिह्न इस प्रकार लगया गया है जो उम्मीदवार जिसको आपने अपना मत दिया है को सन्देहपूर्ण बनाता है तो आपका मत अवैध हो जाएगा।
- 6. चिह्न जो मतपत्र पर आपको पैरा 4 के अनुसार उस पर करने अपेक्षित हैं, के सिवाय अपने हस्ताक्षर ने करें या कोई शब्द न लिखें या कोई चिह्न न लगाएं, हस्ताक्षर या लिखित में कुछ भी ना करें।
- 7. निर्वाचक प्ररूप–13 में घोषणा पर अपने हस्ताक्षरों का सत्यापन मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से करवाएगा, यदि वह निर्वचान डयूटी पर है तो किसी राजपत्रित अधिकारी से या मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी से जिस में वह निर्वाचन डयूटी पर है।

भाग- 11

निर्वाचकों के लिए हिदायतें

- (क) आपको मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात मतपत्र को इसके साथ भेजे गये ''क'' चिहिनत छोटे लिफाफे में रखे। लिफाफे को बन्द कर दें और उसे मोहर लगाकर या अन्यथा सुरक्षित कर दें।
- (ख) इसके उपरान्त आप इसके साथ भेजी गई प्ररूप—13 में घोषणा भी मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकारी जो आपके हस्ताक्षर सत्यापन करने में सक्षम हो (देखिए उपरोक्त हिदायतें 7) की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हैं। घोषणा ऐसे अधिकारी के पास ले जाएं और उसकी आपकी पहचान के बारे में सन्तुष्टि होने के बाद उसकी उपस्थिति में इसे हस्ताक्षर करें। अधिकारी घोषणा पर आपके हस्ताक्षर सत्यापित करेगा तथा आपको लौटाएगा। आपको अपना मतपत्र तसदीक अधिकारी को ना तो दिखाना है और न ही उसे बताना है कि आपने किस प्रकार मत दिया है।
- (ग) यदि आप निक्षरता, अन्धेपन या अन्य अशक्तता के कारण उपरोक्त सूचित रीति में स्वयं मतपत्र चिहिनत करने और अपनी घोषणा हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं तो आप मद (ख) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आपकी ओर से आपका मत चिहिनत करने और घोषणा हस्ताक्षरित करने के लिये हकदार हैं। ऐसा अधिकारी आपकी प्रार्थना पर आपकी उपस्थित में और आपकी इच्छा के अनुसार मतपत्र को चिहिनत करेगा। वह इस निमित आवश्यक प्रमाणपत्र भी पूरा करेगा।
- (घ) आपकी घोषणा हस्ताक्षरित किए जाने और आपके हस्ताक्षर मद (ख) या मद (ग) के अनुसार अनुप्रमाणित किए जाने के पश्चात प्ररूप—13 में घोषणा, मतपत्र अन्तर्विष्ट करने वाले ''क'' चिह्नित छोटे लिफाफे, ''ख'' चिह्नित बड़े लिफाफे में रखे। बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात उसे डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को भेज दें। आपको चिह्नित लिफाफे पर उपलब्ध स्थान पर पूरे हस्ताक्षर करने हैं। आप द्वारा कोई भी डाक टिकट लगानी आवश्यक नहीं है।
- (ङ) आप सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा चुनाव अधिकारी के पास.....** को.....** को.....बजे से पूर्व पहुंच जाए।
- (च) कृपया यह भी ध्यान रखें कि :--
 - (i) यदि आप अपनी घोषणा उपरोक्त निर्दिष्ट रीति में अनुप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा ; तथा
 - (ii) यदि लिफाफा रिटर्निग अधिकारी के पास......को.....को.........बजे के पश्चात पहुंचेगा तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी।

^{*} निर्वाचन के समृचित ब्योरे अन्तः स्थापित करें।

^{**} यहां मतगणना के प्रारंभ के लिए नियत समय और तिथ विनिर्दिष्ट करें।

प्ररूप - 17

[देखिए नियम ७०थ (1), ७० द(1) (ii), ७० प (2) (क) तथा (ख), ७०फ (1)]

भाग I – अभिलिखित मतों का लेखा

नगर निगम के महापौर का च	वुनाव अथवा नगर निगम की वार्ड संख्या
से सदस्य का चुनाव।	3
मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम	
मतदान केन्द्र पर प्रयोग की गई मतदान मशीन की पहचान संर	<u>ब्र</u> ा
नियंत्रण यूनिट	
मतदान यूनिट	
1. मतदान केन्द्र के नियत निर्वाचकों की कुल संख्या।	
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 11) में दर्ज मतदाताओं की कु	ल संख्या।
3. "उपरोक्त में से कोई नहीं " के लिये मतदाताओं की क्	रुल संख्या ।
4. नियम 70छ या 70ज के अधीन मतदान करने के लिए	अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या।
5. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल स	ख्या।
	नद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा—मद नेश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा—मद 4 के सामने समें काई फर्क पाया गया है।
7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको निविदत मतपत्र निय	म 56 के अधीन जारी किए गए थे।
8. निविदत मतपत्रों की संख्या।	
क्रम संख्या	
तक	
(क) प्रयोग के लिए प्राप्त	
(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए	
(ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए	
9. कागज की सीलों का लेखा	
क्रम संख्या	
तक	मतदान एजेन्ट के हस्ताक्षर
1. दी गई कागज की सीलों की	1
क्रम संख्या से तक	2
2. दी गई सीलों की कुल संख्या	3
3. प्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या	4
4. रिटर्निंग अधिकारी को वापस की	5
गई अप्रयुक्त कागज की सीलों की	6
संख्या (मद 3 में से 2 घटाइए)	7
5. नष्ट हुई कागज की सीलों की क्रम	
संख्या, यदि कोई है।	
तिथि	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
स्थान	मतदान केन्द्र संख्या

भाग II—मतगणना का परिणाम					
क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	अभिलिखित मतों की संख्या			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
 कुल					
	रोक्त दर्शाए गए मतों की कुल संख्या भाग I र्क दोनों योगों में कोई विसंगति ध्यान में आई है।	ो मद संख्या 5 के सामने दर्शाए गए मतों की कुल संख्या से			
स्थान					
तिथि		गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर			
उम्मीदवार / निर्वाच	न अभिकर्ता / गणन अभिकर्ताओं के नाम	पूरे हस्ताक्षर			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
		रिटर्निंग अधकारी / पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर''।			

आनन्द एम. शरन, प्रधान सचिव, हरियाणा, सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 14th November, 2018

No. 2/10/20018-RII .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 32 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994) and in consultation with State Election Commission, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994, namely:-

- 1. These rules may be called the Haryana Municipal Corporation Election (Amendment) Rules, 2018.
- 2. In the Haryana Municipal Corporation Election Rules, 1994 (hereinafter called the said rules), in the Preamble, for the words —holding election of themembers, the words —holding election of the Mayor and members shall be substituted
- 3. In the said rules, in rule 2, in clause (h), for the words —the members , the words —the Mayor and members shall be substituted.
- 4. In the said rules, for rule 23, the following rule shall be substituted, namely:-
 - **-23.** Disqualifications for Mayor and members. (1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a Mayor and member of the Corporation, if he incurres any of the disqualification as mentioned in section 8.
 - (2) No person shall be eligible for election as a Mayor and member of the Corporation who, in the case of a seat reserved for Scheduled Castes, Backward Classes or woman, is not a member of any of these categories."
- 5. In the said rules, in rule 24-,
 - (i) in sub-rule (1), for the words —ineligible for membershipl, the words —ineligible for Mayor or membershipl shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (4), for the words for election in the same wardl, the words —for election of Mayor and member in the same wardl shall be substituted; and
 - (iii) in the proviso of sub-rule (4), for the words —for election in the same wardl, the words —for election of Mayor or member in the same wardl shall be substituted.
- **6.** In the said rules, in rule 25,-
 - (i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - —(1) The nomination paper of a candidate shall not be deemed to have been duly delivered unless at the time of delivery of the same under rule 24, the candidate has either deposited or causes to be deposited a sum shown in the table below with the Deputy Commissioner in cash or enclose with the nomination paper a receipt showing that the said sum has been deposited in the treasury, or Government promissory notes of equal value at the market rate of the day:-

Table

Amount of deposit					
If the candidate is a Caste, Backward C	not a member of Scheduled Class or a Woman	If the candidate is Caste, Backward C	a member of Scheduled Class or a woman		
Mayor Member		Mayor	Member		
₹10,000.00	₹3,000.00	₹ 5,000.00	₹ 1,500.00		

Provided that where a candidate has filed more than one nomination paper for election of Mayor and member in the same ward, not more than one deposit shall be required by him under this sub-rule.

- (ii) in sub rule (4), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-
 - —Provided that, if a candidate has filed a nomination paper at an election of Mayor or member in more than one ward, not more than one of the deposits made by him or on his behalf shall be returned and the remainder shall be forfeited by the Government.
- 7. In the said rules, in rule 32, in sub-rule (1), for the words —one candidate in any ward, the words —one candidate for Mayor or member in any ward, shall be substituted.
- **8.** In the said rules, for rule 33, the following rule shall be substituted, namely.-
 - —33. **Poll to be taken if number of candidate is more than number of vacancies.-** If the number of contesting candidate for Mayor and for member in any ward is more than one, a poll shall be taken.
- 9. In the said rules, in rule 34, for the words —member in the ward or wards in which he was a candidatel, the words —Mayor or member in the ward or wards in which he was a candidatel shall be substituted.
- 10. In the said rules, in rule 63, for the words —if no fresh poll is required to be held in that wardl, the words —if no fresh poll is required to be held for Mayor and for member in that wardl shall be substituted.
- 11. In the said rules, for rule 71, the following rule shall be substituted, namely:-
 - —71. Oath of allegiance of the office of Mayor and members, and term of the office of Mayor, Senior Deputy Mayor and Deputy Mayor etc.- (1) The Divisional Commissioner shall, within a period of thirty days of the notification of the names of the Mayor and members elected to the Corporation, convene and preside over the first meeting of the newly constituted Corporation at forty eight hours notice to be delivered at the ordinary place of residence of elected Mayor and members. The notice shall clearly state the Oath of allegiance shall be administered to the Mayor and members present.
 - (2) The Commissioner shall, within a period of sixty days of the notification of the names of the Mayor and members elected to the Corporation convene a meeting of the Corporation at forty eight hours notice to be delivered at the ordinary place of residence of Mayor and members. The notice shall clearly state that the election of Senior Deputy Mayor and Deputy Mayor shall be held in this meeting to be presided over by the Mayor in the presence of the Commissioner.
 - (3) The Divisional Commissioner shall administer the oath of allegiance to the Mayor and members present as prescribed in section 33.
 - (4) The oath of allegiance shall be administered to a Mayor and member who was not present at the meeting convened under sub-rule (3) or to a member elected or nominated to fill a casual vacancy, subsequently by the Mayor and in the case of Mayor by the Divisional Commissioner concerned.
 - (5) The term of the office of Mayor shall be for five years or the residue of the term of his office.
 - (6) The term of the office of Senior Deputy Mayor and Deputy Mayor shall be for five years or the residue of the term of his office as a member, whichever is less. The Senior Deputy Mayor and Deputy Mayor shall be elected from amongst the Members of the Corporation.
 - (7) The offices of the Mayor in the Corporations shall be filled through direct election by the electors from amongst the persons belonging to the General Category, Scheduled Castes, Backward Classes and Women by rotation which shall determined in the manner that the number of offices of the Mayor reserved for the Scheduled Castes and Backward Classes in the State shall bears as may be the same proportion to the total number of such the offices of the Corporation as the population of Scheduled Castes and Backward Classes in the State bears to the total population of the State:

Provided that not less than one third of the total number of offices of the Mayor in the Corporations shall be reserved for Women including the offices reserved for Scheduled Castes and Backward Classes Women. The reservation of offices for women shall rotate to different Corporations, which shall be determined by draw of lots, by a Committee consisting of Director, Urban Local Bodies Department, Divisional Commissioner and Commissioner of the concerned Corporation:

Provided further that number of offices of the Mayor for Scheduled Castes and Backward Classes shall be determined on the basis of their population and shall rotate to different remaining Corporation firstly, having largest population of Scheduled Castes, secondly, from the remaining Corporations having largest population of Backward Classes and they rotate in the subsequent terms of offices of the Corporation having their next largest population and so on. In case of percentage of population of two Corporations as regards Backward Classes and Scheduled Castes is the same, the reservation shall be determined by draw of lots to be conducted by a Committee referred in the above proviso.

- 12. In the said rules, in rule 72.-
 - (i) in existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-
 - -Election of Senior DeputyMayor and Deputy Mayor. I; and
 - (ii) in sub-rule (1), the word and sign —Mayor, I shall be omitted.
- 13. In the said rules, in rule 73, the word and sign —Mayor, wherever occurring shall be omitted.
- 14. In the said rules, in rule 75.-
 - (i) in the marginal heading, the word and sign —Mayor, I shall be omitted; and
 - (ii) in sub-rule (2) the words —Mayor or shall be omitted; and
 - (iii) in sub-rule (4), in proviso, the words —Mayor orl, shall be omitted.
- 15. In the said rules, in rule 78.-
 - (i) in sub-rule (1), for the words —No election of member, the words —No election of Mayor or member shall be substituted; and
 - (ii) in sub-rule (2), for the words —Mayor or shall be omitted.
- **16.** In the said rules, for the existing Form Number 1, 1-C, 1-D, 2, 2 A, 2 B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 and 17, the following forms shall be substituted, namely:-

[see rule 24(2)]

NOMINATION PAPER

Election to the Corporation

election t		ninate as a candidate of election to Mayor from Municipal per from Ward Numberof Municipal Corporation	_
Candidate	e's Nam	e	
Postal add	dress		
Number_		of the above said candidate is entered at serial Number of Municipal Corporation	of the electoral roll of Ward
Municipa		me is entered at serial Number of the electoral roll of Waration	ard Number of
Date:			Signature of proposer)
	I, the	above mentioned candidate, assent to this nomination and h	ereby declare:-
	(a)	that I have completed	;;
	(b)	that I am set up at this election by the	party;
	(c)	that the symbols I have chosen are in order of preference-	
		(i)	
		(ii) and	
		(iii)	
Caste/Ba	ckward	cr declare that I am a member of thein relation to Class of the State ofin relation to for which the seat has been so reserved.	Caste/Class which is a Scheduled(area)
**	'I furthe	r declare that I am a women candidate for which the seat has been	so reserved.
			Signature of candidate
(**Strik	e out w	hichever is not applicable)	
		VERIFICATION BY MAGISTRATE	
ř	The above	ve declaration is solemnly affirmed before me by	
		who is personally known to me or who has	been identified to my satisfaction
Place :		 	Signature of verifying athority with full designation.

		(To be filled	in by the Retur	ning Officer)		
Serial Nu	umber of nomina	tion paper				
T		was delivered to me				
					Returnii	ng Officer
	Decisio	on of Returning Office	er accepting or r	ejecting the nom	nination paper	
		this nomination paper ecide as follows:-	in accordance w	ith Rule 27 of th	e Haryana Mur	icipal Corporation
Date:					Returni	ng Officer
Т	`he symbol assigr	ned to the candidate is _				
Date:					Returnii	ng Officer
		Receipt for Nomin	nation Paper and	d Notice of Scrut	tiny	
	(То	be handed over to th	e person present	ting the nominat	tion paper)	
S	Serial Number of	nomination paper				
		paper of candidat or election to membe		•		•
		_ (date) by the candi (date) at				ken up for scrutiny
Date:					Returnii	ng Officer

FORM - 1C

(see rule 24A)

Please affix your recent passport size photograph here

		pal Corporation		or election to member fron	n Ward No of
			PA	RT-A	
					aged
					ress), a candidate at the above
election, do l	•	emnly affirm and state			
(1)		candidate set up by g as an Independent ca		(**nan	ne of the political party)/**am
	(**strike	out whichever is not a	pplicable)		
(2)	My name Municipa	e is enrolled in al Corporation), at Seri	al Number _	in Part Numbe	(Name of the
(3)		act telephone number			and my e-mail id
(4)	Details of	f Permanent Account-	Number (PA	N) and status of filing of In	come Tax return:
	Serial Number	Names	PAN	The financia year for which the last Income Tax return has been filed	Total income shown in Income- Tax return (in Rs.)
	1	Self			
	2	Spouse			
	3	Dependent-1			
	4	Dependent-2			
	5	Dependent-3			

- (5) I am/am not accused of any offence(s) punishable with imprisonment for two years or more in a pending case(s) in which a charge(s) has/have been framed by the court(s) of competent jurisdiction. If the deponent is accused of any such offence(s) he shall furnish the following information: -
 - (i) The following case(s) is/are pending against me in which charges have been framed by the court for an offence punishable with imprisonment for two years or more:-

(a)	Case/First Information Report Number/ Numbers together with complete details of concerned Police Station/ District State.	
(b)	Section(s) of the concerned Act(s) and short description of the offence(s) for which charged	
(c)	Name of the Court, Case Number and date of order taking cognizance:	
(d)	Court(s) which framed the charge(s).	
(e)	Date(s) on which the charge(s) was/were framed.	
(f)	Whether all or any of the proceeding(s) have been stayed by any Court(s) of competent jurisdiction.	

(ii) The following case(s) is/are pending against me in which cognizance has been taken by the court [other than the cases mentioned in item (i) above]:-

(a)	Name of the Court, Case Number and date of order taking cognizance:	
(b)	The details of cases where the court has taken cognizance, section(s) of the Act(s) and description of the offence(s) for which cognizance taken	
(c)	Details of Appeal(s)/Application(s) for revision (if any) filed against the above order(s)	

(6) I have been/have not been convicted of an offence(s) [other than any offence(s) referred to in sub-section (1) or sub-section (2), or covered in sub-section (3), of section 8 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951)] and sentenced to imprisonment for one year or more.

If the deponent is convicted and punished as aforesaid, he shall furnish the following information:

In the following cases, I have been convicted and sentenced to imprisonment by a court of law:

(a)	The details of cases, Section(s) of the concerned Act(s) and description of the offence(s) for which convicted	
(b)	Name of the Court(s), Case Number and date(s) of order(s):	
(c)	Punishment imposed	
(d)	Whether any appeal was/has been filed against the conviction order. If so, details and the present status of the appeal:	

(7) That I give herein below the details of the assets (movable and immovable etc.) of myself, my spouse and all dependents:

A. Details of movable assets:

- Note: 1.— Assets in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given.
- **Note: 2.** In case of deposit/Investment, the details including Serial Number, Amount, date of deposit, the scheme, Name of the Bank/Institution and Branch are to be given
- **Note: 3.** Value of Bonds/Share Debentures as per current market value in Stock exchange in respect of listed companies and as per books in case of non-listed companies should be given.
- **Note: 4.** Dependent here has the same meaning as assigned in Explanation (v) under section 75A of the Representation of the People Act. 1951.

Note: 5.— Details including amount is to be given separately in respect of each investment

Serial Number	Description	Self	Spouse	Dependent- 1	Dependent- 2	Dependent- 3
(i)	Cash in hand					
(ii)	Details of deposit in Bank accounts (FDRs. Term Deposits and all other types of deposits including saving accounts). Deposits with financial Institutions. Non-Banking financial Companies and Cooperative societies and the amount in each such deposit					
(iii)	Details of investment in Bonds debentures / shares and units in companies/mutual funds and others and the amount					
(iv)	Details of investment in NSS. Postal Saving. Insurance policies and investment any Financial instruments in Post office or Insurance Company and the amount					
(v)	Personal loans/ advance given to any person or entity including firm, company, Trust etc. and other receivables from debtors and the amount					

(vi)	Motor Vehicles/ Aircrafts/ Yachts/ Ships (Details of Make registration number etc. year of purchase and amount)			
(vii)	Jewellery, bullion and valuable thing(s) (give 1 details of weight and value)			
(viii)	Any other assets such as value of claims/interest			
(ix)	Gross Total Value			

B. Details of Immovable Assets:

Note: 1.— Properties in joint ownership indicating the extent of joint ownership will also have to be indicated.

Note: 2.— Each land or building or apartment should be mentioned separately in this format.

Serial Number	Description	Self	Spouse	Dependent- 1	Dependent- 2	Dependent- 3
	Agricultural Land Location(s) Survey number(s)					
	Area (total measurement in acres)					
	Whether inherited property (Yes or No)					
	Date of purchase in case of self acquired property					
	Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase					
	Any investment on the land by way of development, construction etc.					
	Approximate current market value					
(ii)	Non-Agricultural Land: Location(s) Survey number(s)					
	Area (total measurement in square feet)					

	Whether inherited property (Yes or No)			
	Date of purchase in case of self-acquired property			
	Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase Any investment on the land by way of development, construction etc. Approximate current market value			
(iii)	Commercial buildings (including apartments) -Location(s) -Survey number(s)			
	Area (total measurement in square feet)			
	Built-up Area (total measurement in square feet)			
	Whether inherited property (Yes or No)			
	Date of purchase in case of self-acquired property			
	Cost of property (in case of purchase) at the time of purchase			
	Any investment on the property by way of development,			
	Approximate current market value			
(iv)	Residential Buildings (including apartments):-		 	
	Location(s)-Survey number(s) area			
	Built up area (Total measurement in square feet)			
	Whether inherited property (Yes or No)			

	Date of purchase in case of self-acquired property			
	Cost of property (in case of purchase) at the time of purchase			
	Any investment on the land by way of development, construction etc.			
	Approximate current market value			
(v)	Others (such as interest in property)			
(vi)	Total of current market value of (i) to (v) above			

(8) I give herein below the details of liabilities/dues to public financial institutions and government:(Note: please give separate details of name of bank, institution, entity or individual and amount before each item)

Serial Number	Description	Self	Spouse	Dependent- 1	Dependent- 2	Dependent- 3
(i)	Loan or dues to Bank/financial institution(s)Name of the Bank or					
	financial institution, Amount outstanding,					
	Nature of Loan Loan or dues to any Other individuals/entity other than mentioned above Name(s)					
	Amount outstanding, nature of loan Any other liability Grand total of liabilities					
(ii)	Government dues: Dues to departments dealing with government accommodation					
	Dues to department dealing with supply of water					
	Dues to department dealing with supply of electricity					
	Dues to department dealing with supply of telephones/mobiles					

(10)

My educational qualification is as under:-

.....

	Dues to department dealing with government transport (including aircrafts and helicopters)			
	Income tax dues			
	Wealth tax dues			
	Service tax dues			
	Municipal/Property Tax dues			
	Sales Tax dues			
	Any other dues			
(iii)	Grand total of all Government dues			
(iv)	Whether any other liabilities are in dispute, if so, mention the amount involved and the authority before which it is pending.			
(9)	Details of profession or occupation (a) Self		 ,	,

(Give details of highest School/University education mentioning the full form of the certificate/diploma/ degree course, name of the School/College/University and the year in which the course was completed)

PART-B

(11) ABSTRACT OF THE DETAILS GIVEN IN (1) TO (10) OF PART-A:

1.	Nan	Name of the candidate					Sh./ Smt./k	Kum.		
2.	Full	postal address								
3.	Nan	ne of the Municipal Cor	poratio	n						
4.		ne of the political party erwise write _Independent		set up	the candidate					
5.	(i)	Total number of pendi been framed by the Co with imprisonment for	ourt for	offen	ces punishable					
	(ii)	Total number of pendi have taken cognizance mentioned in item (i) a	other							
6.	imp	al Number of cases in warisonment for one year or tred to in subsections (1 resentation of the People	or more), (2) or	[exce r (3) o	pt for offences	to				
7.	PAN of				Year for which income Tanfiled		Tota shov	l income vn		
	(a) C	andidate								
	(b) S	pouse								
	(c) D	ependents								
8.	Detai	ls of Assets and Liabilit	ies in R	Lupees	3				•	
	•	Description	Se	elf	Spouse	De	ependent - 1	Depende	nt - 2	Dependent - 3
A		Moveable Assets (Total value)								
B.		Immovable Asset								
	(i)	Purchase Price of self-acquired immovable property								
	(ii)	Development/ construction cost of immovable property after purchase (if applicable)								
	(iii) Approximate Current market price of-									
		(a) self-acquired assets (Total Value)								

		(b) inherited assets (Total Value)			
9.		Liabilities			
	(i)	Government dues (Total)			
	(ii)	Loans from Bank, Financial Institutions and others (Total)			
10.		Liabilities that are unde	er dispute		
	(i)	Government dues (Total)			
	(ii)	Loans from Bank, Financial Institutions and others (Total)			
11.		Highest educational q (Give details of high diploma/degree course completed.)	est School/ V		

Verification

I, the deponent, above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from. I further declare that:-

- (a) there is no case of conviction or pending case against me other than those mentioned in items 5 and 6 of Part A and B above;
- (b) I, my spouse, or my dependents do not have any asset or liability, other than those mentioned in items 7 and 8 of Part A and items 8, 9 and 10 of Part B above.

Verified at	this the	day of	 	
		•		
				DEPONENT

- Note: 1.— Affidavit should be filed latest by 10 A.M. on the date of scrutiny of nominations.
- **Note: 2.** Affidavit should be sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of the First Class or before a Notary Public.
- **Note: 3.** All column should be filled up and no column to be left blank. If there is no information to furnish in respect of any item, either "Nil" or "Not applicable", as the case may be, should be mentioned,
- **Note: 4.** The Affidavit should be either typed or written legibly and neatly.

FORM-1D

(see rule 24A)

		(800 1111)
	g Officer	rit/declaration to be filed by the candidate along with nomination paper and Form 1C before the for election to Mayor from Municipal Corporation
	years,	**son/daughter/wife
(1) contestin		candidate set up by
(**strike	out which	chever is not applicable)
(2) Serial Nu		ne is enrolled in
(3) is	•	ntact telephone number(s) is/are
(4) Municipa		not incurred any of the following disqualifications, as laid down under Section 8 of the Haryana ration Act, 1994:-
	(i)	I have not been convicted and charges have not been framed against me in a criminal case for an offence, punishable with imprisonment for not less than ten years.
	(ii)	I have not failed to pay any arrear of any kind due to me to any Primary Agriculture Co-operative Society, District Central Co-operative Bank and District Primary Co-operative Agriculture Rural Development Bank. No Dues certificate(s) from the said institution(s) is/are enclosed.
	(iii)	I have not failed to pay arrears of electricity bills. No dues certificate from the concerned Power Utility is enclosed.
	(iv)	I have passed matriculation examination or its equivalent examination from recognized institution/board
		Or
		I have passed the middle class (in case of a woman candidate or a candidate belonging to Scheduled caste)
		Or
		I have passed the 5th class (in case of a woman candidate belonging to Scheduled caste, excluding Mayor)
		A true attested copy of certificate issued by the concerned Institution/Board is enclosed.
	(v)	I have a functional toilet at the place of my residence.

VERIFICATION

I, the deponent, above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed here from.					
Verified a	at	this the	day of		
					DEPONENT

- Note:1.— Affidavit/Declaration should be filed latest by 10 A.M. on the date of scrutiny of nominations
- **Note: 2.** Affidavit should be sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of the First Class or Notary Public.
- **Note: 3.** All columns should be filled up and no column to be left blank. If there is no information to furnish in respect of any item, either "Nil" or "Not applicable", as the case may be, should be mentioned,
- Note: 4.— Affidavit/Declaration should either be typed or written legibly and neatly."

FORM – 2

[see rule 40(2)]

APPOINTMENT OF POLLING AGENT

Election to Mayor f	from Municipal Corporation		Or election	to member
from Ward Number	of Municipal Corporat	tion		
I			_a candidate at the above	ve election, d
hereby appoint			_son / daughter of	
	as a polling agent to atte			at/plac
fixed for the poll at		·		
Place:			Signature of Can	didate
Date:				
I agree to	act as such Polling Agent.			
Place:			Signature of Pollin	ig Agent
Date:				
Decl	laration of Polling Agent to be si	gned before	Presiding Officer	
I hereby Corporation Election Rules	declare that at the above election, s, 1994.	I will not do	anything forbidden by the M	Municipal
Date:			Signature of Pollin	ng Agent
	Signed before n	ne.		
Date:			Signature of Presidi	ng Officer

FORM - 2A

[see rule 40A]

APPOINTMENT OF ELECTION AGENT

Ele	ction to Mayor fron	n Municipal	Corporation.		Or	election to r	nember from
Ward Number	of Mu	ınicipal Corj	poration				
То							
	e Returning Officer						
I				a candic	date at the a	bove election	n do hereby
appoint Sh				(Name a	and Address)	as my electic	n agent from
this day at the	above election.						
Place							
Date		-			Signat	ure of Candid	late
I ac	ccept the above appoi	ntment.					
Place							
Date					Signature	e of Election	Agent

^{*} Appropriate particular of the election to be indicated here.

FORM - 2B

[see rule 40B (2)]

APPOINTMENT OF COUNTING AGENT

Election to Mayor from Municipal Corporation								
rom Ward Number of Municipal Corporation								
To The Paturning Officer/Presiding Officer								
The Returning Officer/Presiding Officer,								
	** the election agent of who is							
a candidate at the above election hereby appoint the follo	owing persons as my/his** counting agents to attend the							
counting of votes at	·							
Name of the Counting Agent	Address of the Counting Agent							
1								
2								
3								
4								
5								
6								
etc.								
Diago								
Place Date	Signature of Candidate/							
Date	Election Agent**							
We agree to act as such Counting Agents.	Ziootton i sgent							
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
etc.								
Place								
Date	Signature of the Counting Agents							

DECLARATION OF THE COUNTING AGENTS

(To be signed before the Returning Officer/Presiding Officer)

We hereby declare that at the above election, we shall not do anything forbidden under sub-sections (1) and (2) of section 23 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), which we have read/has been read over to us.

1		
2		
3		
4		
5		
6		
etc.		
Place		
Date		Signature of Counting Agents
	Signed before me	
		Signature of the Returning Officer/
		Presiding Officer

- Section 23 (1) Every officer or clerk, agent or other person who performs any duties in connection with the recording or counting votes at an election shall maintain an aid in maintaining the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorized by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.
 - (2) Any person who willfully acts in contravention of the provisions of this section shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding three months, or with fine, or with both. I.

^{*-} Appropriate particulars of the Election to be inserted.

^{** -} Strike off the inappropriate alternative.

[see rule 47(2)(c)]

LIST OF CHALLENGED VOTES

Ward Number..... of Municipal Corporation.....

Polli	ng Station	Number	Sig	nature Sheet Nu	mber			
Serial No. of entry	Name of elector	Serial number of elector's name in the roll	Signature or thumb impression of the person challenged	Address of the person challenged	Name of identifier, if any	Name of challenger	Order of Presiding Officer	Signature of challenger or receiving refund of deposit
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ng Office
ng

Dated

FORM-4

[see rule 54(2)]

LIST OF BLIND AND INFIRM VOTERS

	Mayor from Municipal of Municipal Corpor			Or election to member from
	Polling Station/Place of I			
Serial number of elector on the roll	Full name of elector	Full name of companion	Address of companion	Signature of companion
1	2	3	4	5

Signature of Presiding Officer

[see rule 56(2)]

LIST OF TENDERED VOTES

Ward Number..... of Municipal Corporation....

Number of Polling	Station/Place of Poll			
Serial number and name of elector on the roll	Address of elector	Serial number of tendered ballot paper	Serial number of ballot paper issued to the person who has already voted	Signature or thumb impression of person tendering vote
1	2	3	4	5

Date: Signature of Presiding Officer

(See rule 58)

BALLOT PAPER ACCOUNT

Number of Municipal Corporation Number of Polling Station/Place of Poll Serial Numbers Total N (1) Ballot papers received (2) Ballot papers un-used (a) with signature of the Presiding Officer, if any, and (b) Without the signature of the Presiding Officer (3) Ballot papers issued to voters (4) Ballot papers cancelled (a) for violation of voting procedure	
Serial Numbers Total N (1) Ballot papers received (2) Ballot papers un-used (a) with signature of the Presiding Officer, if any, and (b) Without the signature of the Presiding Officer (3) Ballot papers issued to voters (4) Ballot papers cancelled (a) for violation of voting procedure	
(1) Ballot papers received (2) Ballot papers un-used	
(a) with signature of the Presiding Officer, if any, and (b) Without the signature of the Presiding Officer (3) Ballot papers issued to voters (4) Ballot papers cancelled (a) for violation of voting procedure	Jumber
(a) with signature of the Presiding Officer, if any, and (b) Without the signature of the Presiding Officer (3) Ballot papers issued to voters (4) Ballot papers cancelled	
Presiding Officer, if any, and (b) Without the signature of the Presiding Officer (3) Ballot papers issued to voters (4) Ballot papers cancelled	
Presiding Officer (3) Ballot papers issued to voters (4) Ballot papers cancelled (a) for violation of voting procedure	
(4) Ballot papers cancelled (a) for violation of voting procedure	
(a) for violation of voting procedure	
(b) for any other reason	
(5) Ballot papers used as tendered ballot papers	
(6) Ballot papers which should Be in the Ballot Box	
Date: Signature of Preside	ing Officer

[see rule 61(2) and 62(4)]

(To be filled after counting of votes)

FORM OF ACCOUNT OF BALLOT PAPERS

Num		to Mayor from Municipal of Municipal	•	Or election to member from Ward
Polli	ng Station N	umber		
Date	of counting			
Seria	l No.	Name of Candidate		Number of valid votes cast
1.				
2.				
3.				
4.			etc.	
(ii)	Rejected l	pallot papers		
(iii)	Total			
(iv)		the total number of ballot hallot hallot in Form-6 or any discount of the second secon		Item No.III above tallies with total shown against ween these two figures.
Date				Signature of Presiding Officer

[see rules 63, 70U(2)(c), 70V(1) and 70W(2)]

FORM OF CONSOLIDATIONOF ACCOUNT OF THE CONTED BALLOT PAPERS

from Ward	1 Number	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	01	Mun	псір	al Co	orpo	ratio	on	• • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Polling Station Number	Total votes found in the ballot box(es)/ EVM(s)	Number of tendered votes		Candidate's valid votes				Valid votes Total	Number of rejected ballot papers	Votes for —NOTAll option	Valid and rejected votes			
			A	В	С	D	Е	F	G	Н				
1														
2														
3														
4														
5														
Etc.														
Total														
Place							1	1						
Date												R	eturning Of	ficer

[see rule 51-A(1)]

LETTER OF INTIMATION TO RETURNING OFFICER

То

The Returning Officer	
Constituency, Ward Number	
Municipal Corporation of	
Sir,	
I intend to cast my vote by post at the ensuing election to Mayor from It. Or election to member from Ward Number of Municipal Corporation	• •
I have been posted on election duty at polling station Number_	of
Constituency, (Ward Number)in Municipal Corporation of	My name is entered a
Serial Number of the electoral rolls	for
Constituency, (Ward Number)of Municipal Corporation of	·
The ballot paper may be sent to me at the following address.	Yours faithfully,
Place:	fours faithfully,
Date :	()

[see rule 70N(1)]

APPLICATION FOR ELECTION DUTY CERTIFICATE

Election	to Mayor from Municipal Corporation Or election to member from
Ward Number	of Municipal Corporation
То	
Th	e Returning Officer, Ward
	mber
Sir,	
	ntend to cast my vote in person at the ensuing election to the above ward. My name is entered at
	in part Number_of the electoral roll for the above Ward.
	have been posted on election duty at Polling Station NumberPolling Station
	of Ward Number
	equest that an Election Duty Certificate in Form 12 may be issued to enable me to vote at the
polling station w	where I shall be on duty on the polling day. It may be sent to me at the following address:-
	Yours faithfully,
	Tours faithfully,
Date:	(Applicant's name)

FORM – 11

[see rules 70G, 70H(7), 70M, 70P(1)(f) and 70X(1)(e), Form 17]

REGISTER OF VOTERS

Elect	ion to Mayor from Municipal Corpo	rationOr	election to member from
Ward Number	of Municipal Co	orporation	
Number and N	Name of Polling Station		
Part Number	of Electoral Roll		
		,	
Serial Number	Serial number of elector in the electoral roll	Signature/thumb impression of elector	Remarks
1			
2			
3			
4			
5			

etc.

Signature of the Presiding Officer

FORM – 12

[see rules 70N(1)(a) and 70P(1(e)]

ELECTION DUTY CERTIFICATE

Certified that Sh./Sm	nt	
S/o / D/o / W/o	is an elector in the	_*Ward,
his electoral roll number being	that by reason of his being on election duty, he is unable to vote at the	polling
station, where he is entitled to vote	and as such is hereby authorized to vote at any polling station, he may be	on duty
on the date of poll.		
Place	Signature of Returning Officer	r
Date		
	Seal	

^{*} Appropriate particulars to be inserted.

[see rule 70N(4)(a) and (6)(b) and (c) and Form 16]

DECLARATION BY ELECTOR FOR USE OF POSTAL BALLOT PAPER

(This side is to be used only when the elector signs the declaration himself)

from Ward Number..... of Municipal Corporation..... I hereby declare that I am the elector to whom the postal ballot paper bearing serial number has been issued at the above election. Signature of the Elector Date: Address..... ATTESTATION OF SIGNATURE The above has been signed in my presence by _______(elector) who is personally known to me/has been identified to my satisfaction by (identifier) who is personally known to me. Signature of the Identifier Signature of the Attesting Officer, If any Designation Address Date _____ (This side is to be used when the elector cannot sign himself) I hereby declare that I am the elector to whom the postal ballot paper bearing serial number has been issued at the above election. Date : Signature of Attesting Officer On behalf of Elector Address of Elector

.....

CERTIFICATE

	I hereby certify that –			
(1)	the above named elector is personally known tome/has been identifier) who is personally	ified to my satisfaction by known to		
(2)	I am satisfied that the elector is illiterate/suffers from			
	(infirmity) and is unable to record his vote himself or sign his decl	aration.		
(3)	I was requested by him to mark the ballot paper and to sign the above declaration on his behalf.			
(4)	The ballot paper was marked and the declaration signed by n accordance with his wishes.	ne on his behalf in his presence and in		
Signatu	re of the Identifier	Signature of the Attesting Officer,		
If any .		Designation		
Address		Address		

[see rule 70N(4)(b) and (6)(a)]

COVER —AI

NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING
Election to Mayor from Municipal Corporation
POSTAL BALLOT PAPER
Serial Number of ballot paper

[see rule 70N(4)(c)]

LARGE COVER —BI

To be used at Election to Mayor from Municipal Corporation Or election to					
member from Ward Number of Municipal Corporation					
COVER —BI	COVER —BI SERVICE UNPAID				
COVER B	SERVICE CITALD				
Every Officer under whos	se care or through whom a postal ballot paper is sent shall ensure its delivery				
to the address without delay. [Rule 51A	Δ(4)]				
	ELECTION – IMMEDIATE				
Pastal Ballot Paper					
For election to Mayor from	m Municipal Corporation Or election to member from				
Ward Number of Municipal	Corporation				
(NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING)					
То					
The Returning Officer					
**					
Signature of the Sender					

- * Returning Officer to insert here the appropriate particulars of the Ward.
- ** Returning Officer to mention here the full address.

[see rules 70N(4)(d) and (6)(a) and (c) and 70W(1)]

INSTRUCTION FOR THE GUIDANCE OF ELECTORS FOR USE OF POSTAL BALLOT PAPER

Election to Mayor from Municipal Corporation	Or	election	to	member	from
Ward Number of Municipal Corporation					

The person whose names are printed on the ballot paper sent herewith are candidates at the above election. If you desire to vote you shall record your vote in accordance with the directions given in Part-I below and then follow the instructions detailed in Part-II.

PART - I

DIRECTIONS TO ELECTORS

- 1. The number of members to be elected is one.
- 2. You have only one vote.
- 3. You must not vote for more than one candidate. If you do so your ballot paper shall be rejected.
- 4. Record the vote by placing clearly a mark opposite the name of the candidate to whom you wish to give that vote.
- 5. The mark shall be so placed as to indicate clearly and beyond doubt to which candidate you are giving your vote. If the mark is so placed as to make it doubtful to which candidate you have given the vote, that vote shall be invalid.
- 6. Do not put your signature or write any word or make any mark, sign or writing whatsoever on the ballot paper other than the mark which you are required to make thereon in accordance with paragraph 4.
- 7. An elector shall obtain the attestation of his signature on the declaration in Form 13 by a magistrate or a Gazetted Officer, if he is on election duty, by any Gazetted Officer or by the Presiding Officer of the polling station in which he is on election duty; and

PART - II

INSTRUCTIONS FOR ELECTORS

- (a) After you have recorded your vote on the ballot, place the ballot paper in the smaller cover marked —All sent herewith. Close the cover and secure it by seal or otherwise.
- (b) You have then to sign the declaration in Form 13 also sent herewith in the presence of a Magistrate or any other Officer competent to attest your signature (see direction 7 above). Take the declaration to any such Officer and sign it in his presence after he has been satisfied about your identity. The Officer shall attest your signature and return the declaration to you. You must not show your ballot paper to the Attesting Officer nor tell him how you have voted.
- (c) If you are unable to mark the ballot paper and sign the declaration yourself in the manner indicated above by reason of illiteracy, blindness or other infirmity you are entitled to have your vote marked and the declaration signed on your behalf by any Officer referred to in item (b). Such an Officer shall at your request mark the ballot paper in your presence and in accordance with your wishes. He shall also complete the necessary certificate in this behalf.
- (d) After your declaration has been signed and your signature has been attested in accordance with item (b) or item (c) place the declaration in Form 13 as also the smaller cover marked —All containing ballot paper, in the larger cover marked —Bl. After closingthe larger cover, sent it to the Returning Officer by post or by messenger. You have to give your full signature in the space provided on the cover marked —Bl No postage stamp need be affixed by you.

Please note that:			
(i)	If you fail to get your declaration attested or certified in the manner indicated above, your ballot paper shall be rejected; and		
(ii)	If the cover reaches the Returning Officer afteron theyour vote shall not be counted.		

^{*} Appropriate particulars of the election to be inserted.

^{**} Here specify the hour and date fixed for the commencement of counting of votes.

[see rules 70Q(1), 70R(1)(ii), 70U(2) (a) and (b), 70V(1)]

PART-I – ACCOUNT OF VOTES RECORDED

Election to Mayor from Municipal Corporation	oration Or election to member from Ward					
Number and Name of Polling Station						
Identification Number of Voting Machine used at						
Control Unit	_					
Balloting Unit						
	Total Number of electors assigned to the Polling Station.					
	Total Number of voters entered in the Register of Voters (Form 11)					
3. Total number of voters for —None of	Total number of voters for —None of the Above .					
4. Number of voters not allowed to vote un	Number of voters not allowed to vote under rule 70G or 70H					
5. Total Number of votes recorded as per v	Total Number of votes recorded as per voting machine.					
shown against item 2 minus Numbers	Whether the total Number of votes as shown against item 5 tallies with the total Number of voters as shown against item 2 minus Numbers of voters deciding not to record votes as against item 3 minus Number of voters as against item 4 (2-3-4) or any discrepancy noticed.					
7. Number of voters to whom tendered ball	ot papers were issued under rule 56					
8. Number of tendered ballot papers. Serial number						
Fromto	Fromto					
(a) received for use						
(b) issued to electors						
(c) not used and returned						
9. Account of papers seals	Account of papers seals					
Serial numbers						
Fromto	Signature of Polling Agents					
1. Serial number of paper seals supplied.	1					
Fromto	2					
2. Total numbers supplied.	3					
3. Number of paper seals used.	4					
4. Number of unused paper seals returned to	5					
Returning Officer (Deduct item 3 from item 2);	6					
5. Serial number of damaged paper seal, if any	7					
Date	Signature of Presiding Officer					
Place	Polling Station Number					

PART-II - RESULT OF COUNTING

Serial Number	Name of Candidate	Number of votes recorded
1		
2		
3		
4		
5		
6		
O		
Total		
1041		
	nbers of votes shown above talls screpancy noticed between the t	ies with the total Number of votes shown against the item two totals.
Place		
Date		
		Signature of Counting Supervisor/Presiding Officer
Name of Candidate/election	agent/counting agents	Full Signature
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
		Signature of Returning Officer/Presiding Officer

ANAND M. SHARAN, Principal Secretary to Government Haryana, Urban Local Bodies Department.